# राजस्थान सरकार
# वित्त विभाग
# अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक प.17(13)वित्त/अंकेक्षण/2016 जयपुर, दिनांक : 06-11-2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/ विभागाध्यक्ष

## परिपत्र

विषय :– विभिन्न कार्यालयों द्वारा राजस्व/शुल्क/मांग पत्रों, आदेशों एवं निर्णयों में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों का संदर्भ नहीं दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

यह ध्यान में लाया गया है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों के आधार पर विभिन्न विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले वसूली/मांग पत्र/आदेशों एवं निर्णयों आदि में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों का संदर्भ दिया जाता है, जिससे न्यायालय में किसी पक्षकार के पहुँचने पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं वित्त विभाग को पक्षकार बनाने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है जबकि स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग का किसी भी पक्षकार से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं होता है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण का कार्य राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 के अधीन संवैधानिक दायित्वों के अधीन संबंधित नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदनो में कार्य प्रकिया की त्रुटि, नियमों की अवहेलना आदि के कारण आक्षेप गठित किए जाते है, इन आक्षेपों का परीक्षण संस्था अधिकारी/प्रशासनिक विभाग के स्तर से विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाकर संबंधित से वसूली/मांग पत्र आदि जारी किए जाते है। इस प्रकार विभाग एवं प्रशासनिक विभाग के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के गठित आक्षेपों से सहमत होने के उपरान्त ही वसूली आदि के लिए मांग पत्र जारी किए जाते है।

अतः वसूली आदि के लिए जारी किए जाने वाले मांग पत्र आदेश, निर्णय आदि में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपो के आधार पर जारी करने के स्थान पर प्रशासनिक विभाग द्वारा जिन आधारों/नियमों पर संबंधित त्रुटि को माना गया है। उन त्रुटी, नियम/उपनियम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
विशिष्ट शासन सचिव
वित्त (व्यय)